न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21/2016 नामान्तरकरण अपील

1. महेश चन्द पुत्र शिवसहाय } समस्त जाति ब्राह्मण निवासी श्यामपुरा कलां तहसील
2. कैलाश चन्द पुत्र जगन्नाथ } लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. अनूप कुमार
2. धर्मेन्द्र कुमार } पिसरान राधारमन } समस्त जाति ब्राह्मण निवासी मौहल्ला बारू,
3. मुनेन्द्र कुमार } सोरो, होदलपुर, कासगंज सोरो उत्तरप्रदेश
4. अंजु देवी पत्नि राधारमन
5. महेन्द्रसिंह पुत्र जमनसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा कलां, तहसील लालसोट।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 689 वाकै ग्राम श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट तस्दीकी दिनांक 21.03.2016 द्वारा तहसीलदार लालसोट)

उपस्थिति :–: श्री हरिनारायण माठा अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित ।
: श्री गोविन्द कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 उपस्थित।
: पं. रामबाबू शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 20.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाकै श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट में स्थित है। जिस पर अपीलान्टगण अरसेदराज से काबिज होकर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। अपीलान्टगण वर्ष 1955 से पूर्व भी काश्त कर लगान सरकारी अदा करते चले आने के कारण अपीलान्टगण को उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये है। जिसके बाबत् अपीलान्टगण ने एक वाद अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में पेश कर रखा है। जो विचाराधीन है। उक्त भूमि के खातेदार लक्ष्मीनारायण पुत्र बालूराम जाति ब्राह्मण लाऔलाद फौत हो गया। जिसके फौत होने पर रेस्पोडेन्ट्स के नाम तहसीलदार लालसोट ने बिना किसी वैध आधार के दिनांक 21.03.2016 को नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा नामान्तरकरण संख्या 689 वाकै ग्राम श्यामपुरा कलां के विरूद्ध यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलान्ट्स आराजी खसरा नम्बर 689 वाकै ग्राम श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट पर अरसेदराज से काबिज है। वर्तमान में भी उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्ट्स का अरसेदराज से कब्जा होने के कारण अपीलान्ट्स के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट की खातेदारी लक्ष्मीनारायण पुत्र बालूराम जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज थी। जो कि वर्ष 1993 मे लाऔलाद फौत हो गया। खातेदार लक्ष्मीनारायण पुत्र बालूराम के लाऔलाद फौत होने के बाद तहसीलदार लालसोट द्वारा उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करते समय अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया। उक्त आराजीयात बाबत् किसी भी प्रकार की नामान्तरकरण की कार्यवाही करने से पूर्व अपीलान्ट्स को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनन आवश्यक था। उक्त नामान्तरकरण की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जानकारी अपीलान्ट्स को रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 4 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 5 के हक में उक्त आराजीयात का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाने पर हुई। प्रश्नगत जमीन लक्ष्मीनारायण से वर्ष 1988 में अपीलान्ट्स ने क्रय कर रखी थी। अपीलान्ट्स हितबद्ध व्यक्ति है एवं कोई भी हितबद्ध व्यक्ति अपील कर सकता है। जब लक्ष्मीनारायण लाऔलाद फौत हो गया तो रेस्पोडेन्ट्स किस प्रकार उसके वारिस हो सकते है। रेस्पोडेन्ट्स के नाम कोई वसीयत भी नहीं है। नामान्तरकरण खोलते समय कब्जे वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जाना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा नामान्तरकरण खुलवाकर प्रश्नगत भूमि का बेचान भी कर दिया। जबकि कब्जा है ही नही ना ही बेचने वाले का कब्जा था। जब नामान्तरकरण प्राकृतिक वारिस के नाम नही खुले तो तहसीलदार को सुनवाई कर बाद जांच संतुष्ट होने पर ही नामान्तरकरण खोलना चाहिये। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार लालसोट के निर्णय दिनांक 21.03.2016 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 689 वाकै ग्राम श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अपीलान्ट्स द्वारा यह कथन किया गया है कि नामान्तरकरण खोलते समय नोटिस नहीं दिया गया है तो क्या अपीलान्ट्स मृतक खातेदार के वारिस है जिनको नोटिस दिया जाता। प्रश्नगत भूमि का यदि अपीलान्ट्स को बेचान किया गया है तो विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिये थी। जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट्स द्वारा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रश्नगत नामान्तरकरण विरासत का नामान्तरकरण है। तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण पर वारिसान का सजरा अंकित किया गया है। जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट्स के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा यह भी कथन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर अरसेदराज से काबिज होने के कारण अपीलान्ट्स को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये है। जिसके बाबत् अपीलान्ट्स ने एक वाद अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के यहां पेश कर रखा है। किन्तु उक्त तथ्य के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज बतौर सबूत पेश नहीं किये गये है। मृतक खातेदार लक्ष्मीनारायण द्वारा दिनांक 07.01.1993 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता श्री राधारमण के हक में अन्तिम वसीयत निष्पादित की है। तथाकथित वसीयत अन्तिम इच्छा पत्र के आधार पर ही तहसीलदार लालसोट द्वारा वारिसान की जांच कर प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स निराधार होने के कारण खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के कथन पर सहमति व्यक्त की गई।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरकरण का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तरकरण विरासत का नामान्तरकरण है। नामान्तरकरण पर मृतक खातेदार का सजरा अंकित किया जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा अपने खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हो जाना व्यक्त करते हुये वाद अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में पेश कर रखा होना व्यक्त किया गया है किन्तु बतौर सबूत के दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। अपीलान्ट्स द्वारा मृतक खातेदार से पूर्व में प्रश्नगत नामान्तरकरण सम्बन्धित भूमि को क्रय किये जाना व्यक्त किया गया है, किन्तु भूमि क्रय किये जाने के पश्चात् नामान्तरकरण खुलवाने सम्बन्धित कोई कार्यवाही की गई हो इसका भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 689 दिनांक 21.03.2016 ग्राम श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official